भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4461
गुरुवार, 02 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

अतंरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी

4461. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल होने के बावजूद, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी केवल लगभग 2 प्रतिशत है;

(ख) क्या इस अनुमान को देखते हुए कि वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है, वर्ष 2033 तक भारत की हिस्सेदारी बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य जोखिममय है;

(ग) क्या सरकार ने कुशल प्रतिभा और स्टार्टअप के विदेशी अंतरिक्ष केंद्रों की ओर पलायन से संबंधित चिंताओं का आकलन किया है; और

(घ) सुधारों में तेजी लाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने, वित्त पोषण एवं अवसंरचना को मजबूत करने और देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण रोधक्षम अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

****

(क) भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय दृष्टिकोण और रणनीति के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2% अर्थात लगभग 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2033 तक लगभग 44 अरब अमेरिकी डॉलर (वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 8%) और वर्ष 2040 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर (वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 10%) तक बढ़ने का अनुमान है।

(ख) अंतरिक्ष क्षेत्र के उदारीकरण के माध्यम से सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के समन्वय से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकार का निर्धारण किया जा रहा है।

(ग) जी हाँ। इसका आकलन किया गया है। फिलहाल, कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। इस मामले पर नजर रखी जाएगी।

(घ) भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण रोधक्षम अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण, सुधारों में तेजी लाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने, वित्तपोषण और अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है/ पहल कर रही है: -

i. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लागू हो चुकी है, जिसमें सभी हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां परिभाषित की गई हैं।
ii. अंतरिक्ष क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की घोषणा की गई।
iii. इन-स्पेस से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं (एनजीपी) लागू हैं।
iv. गैर-सरकारी कंपनियों को इसरो की सुविधा प्रदान करने के लिए रियायती मूल्य निर्धारण नीति लाई गई।
v. 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया गया।
vi. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यिकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष (टीएएफ) स्थापित किया गया।
vii. इन-स्पेस बीज निधि योजना का उद्देश्य इस विचार को उत्पाद में समाहित करना है।
viii. अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमियों की पहचान और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इन-स्पेस का विकास-पूर्व उद्यमिता कार्यक्रम।
ix. निजी क्षेत्र को ठोस सहायता प्रदान करने के लिए इसरो की सुविधाओं और मार्गदर्शन के रूप में सहायता प्रदान करना।
x. कौशल संबंधी आवश्यकताओं में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए कौशल विकास संबंधी पहल।
xi. किफायती लागत पर अंतरिक्ष प्रणालियों के परीक्षण और अनुकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक तकनीकी केंद्र की स्थापना।
xii. इसरो से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम बनाना
xiii. पीओईएम मंच के माध्यम से अंतरिक्ष योग्यता का परीक्षण करने का अवसर।
xiv. सेवा हेतु उपग्रह बस, सेवा हेतु भू केंद्र जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है।
xv. किफायती लागत पर अंतरिक्ष प्रणालियों के परीक्षण और अनुकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक तकनीकी केंद्र की स्थापना।
xvi. अंतरिक्ष अंगीकरण जागरूकता कार्यशाला, उद्योग सम्मेलनों, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रदर्शनियों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा जैसे विभिन्न प्रोत्साहन योग्य कार्यक्रमों के माध्यम से व्यवसाय अवसर प्रदान करना।

****